E Content for students of Patliputra University, Patna



आर० आर० एस० कॉलेज मोकामा

राजनीति विज्ञान

स्नातक प्रतिष्ठा Part – II, Paper IV

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति

# संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांत

डॉ० उमेश चन्द्र शुक्ल
एसो० प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान

युद्ध की विभिषिका का सामना और शांति के प्रयास प्रारम्भ काल से ही देखने को मिलते रहे हैं। पिछले शताब्दी में विश्व को दो विश्वयुद्धों का सामना करना पड़ा। दोनों ही विश्वयुद्धों के बाद शांति के प्रयास के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्र संघ (League of Nations) बनाया गया वहीं द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 24 अक्टुबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित किया गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations organization) (U.N.O.) विश्व संस्था के रूप में अभी तक कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में अपने पूर्ववर्ती विश्व संस्था, राष्ट्र संघ की कमियों, त्रुटियों समस्याओं, प्रक्रियाओं एवं कमजोरियों को ध्यान में रखकर किया गया। इसीको ध्यान में रखते हुए अमेरिका सहित अन्य विश्व शक्तियों - ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस तथा चीन को इसका सदस्य बनाया गया तथा इन्हें सुरक्षा परिषद का निषेधाधिकार सहित स्थायी सदस्य बनाया गया। पूर्व के राष्ट्र संघ में अमेरिका सदस्य नहीं था, तथा सभी सदस्य निषेधाधिकार सहित थे। फलस्वरूप निर्णयों में कठिनाई होती थी तथा सोवियत संघ सहित कई राष्ट्र संगठन से अलग भी हो गये थे, नये संगठन के निर्माण में इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए एक प्रभावी संगठन बनाने का प्रयास किया गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य —

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में इसके चार उद्देश्य बतलाये गये हैं,

(1) अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा कायम रखना —

संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाये रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ही वह वैश्विक इकाई है, जिस पर विश्व के किसी भी कोने में शांति एवं सुरक्षा पर संकट उत्पन्न होने पर संकट दूर करने की जिम्मेवारी है, इसके लिए सुरक्षा परिषद् हमेशा सतर्क तथा सक्रिय रहती है। इसके लिए सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत अपनाया जाता है। जिसका अर्थ है, विश्व की सामूहिक शक्ति शांति भंग करने वाले के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर सकता है। जिससे विश्व में शांति स्थापित होगी।

(2) विवादों का शांतिपूर्ण समाधान — संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य विवादों का सामरिक समाधान का ही नहीं रहता है, बल्कि शांतिपूर्ण समाधान के प्रयास किये जाते हैं। इसके लिए पंच निर्णय, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास किया जाता है।

(3) राष्ट्रों के आत्मनिर्णय को उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन —

संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना काल में विश्व के बहुत से राष्ट्र उपनिवेश बड़े राष्ट्रों के उपनिवेश थे। उन उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव रखा गया। आज भी ऐसी समस्या उत्पन्न होने पर संयुक्त राष्ट्र सक्रिय होता है।

(4) सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग —

संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व में शांति की स्थापना हेतु राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सहयोग का वातावरण तैयार करना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ इसके लिए मंच प्रदान करता है तथा कई एजेन्सियों इसमें सक्रिय रहती हैं। UNESCO, UNICEF, I.L.A., Word Bank W.H.O. आदि के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगात्मक

संयुक्त राष्ट्रसंघ के सिद्धांत

संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के अतिरिक्त सिद्धांतों का भी निर्धारण किया गया है, जिसका पालन सदस्य राष्ट्र करेंगे। ऐसे सिद्धांत निम्न लिखित हैं:

(1) सभी राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत पर आधारित है। छोटे या बड़े सभी राष्ट्र संघ की नजर में समान हैं। तथा सभी राष्ट्रों की संप्रभुता का समान महत्व है।

(2) सदस्य राष्ट्र के सदस्यों से यह उम्मीद की जाती है कि वे उन पर लागू होने वाले दायित्वों का निर्वाह करेंगे। जैसे वार्षिक अंशदान देना, आवश्यकता पड़ने पर शांति सैनिक भेजना

3. अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास। अर्थात जहाँ तक हो सके युद्ध के विकल्प से बचने का प्रयास करना।

(4) सभी सदस्य राष्ट्रों से उम्मीद है कि वे संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के विपरीत कोई कार्य नहीं करेंगे। वे किसी देश की स्वतंत्रता का हनन नहीं करेंगे तथा किसी पर आक्रमण भी नहीं करेंगे।

(5) हर सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किसी प्रावधान के विरुद्ध कार्य करने वाले की सहायता नहीं करेंगे।

(6) संयुक्त राष्ट्र संघ उन राष्ट्रों से भी विश्व शांति तथा सुरक्षा बनाये रखने का प्रयास करेगा, जो इसके सदस्य नहीं हैं।

(7) संयुक्त राष्ट्र संघ किसी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

यहाँ यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों एवं सिद्धांतों का पालन सदस्य राष्ट्रों से करवाने में सफल रहा है? उत्तर अगर पूरी तरह नकारात्मक नहीं तो सकारात्मक या उत्साहवर्द्धक भी नहीं है। तृतीय विश्वयुद्ध का नहीं होना विश्व में शांति एवं सुरक्षा की गारंटी

रखते भड़काते रहते हैं। सामूहिक युद्धों की तो बात ही अलग है बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ अपने लाभ के लिए राज्यों के बीच युद्ध कराते रहते हैं। उनका शोषण लगातार चलता रहता है। सदस्यों के बीच की समानता भी दिखावे की बात रह गई है। पाँच महाशक्तियों का निषेधाधिकार (Veto Power) के कारण अन्य राष्ट्रों का शोषण एवं दोहन होता रहता है। प्रतिनिधि रूपा महासभा शक्तिहीन है, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय मानने के लिए सदस्य राष्ट्र बाध्य नहीं हैं। महासचिव भी उतनी ही शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जितनी पर पाँचों महाशक्तियों की सहमति हो। अमेरिका प्रायः अपने अनुदान राशि की कटौती की धमकी देता रहता है।

इन समस्त परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य तथा सिद्धांत एक "पवित्र घोषणापत्र" से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श, समाधान के रास्ते की खोज तथा एक विश्व जनमत का निर्माण करने में सहायक है।